

1

CORRIGENDUM

FOR THE DISTRICT JUDGE, JALPAIGURI

Case No. 600344 of 2016

Date of
Order of
Proceeding

Order of Proceeding

Signature of
Parties of
Pleadings where
Necessary

8.11.16

आपनी आरक्षी केन्द्र मो. को उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक की ओर से आपराधिक
क्र. 1087 द्वारा गान अलगत धारा 34 अखण्ड 208 दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0फ0ओ0 श्री प्रवीण निहलिका उमर 20।

अभियुक्त / अभियुक्तगण बुलेट्ट दिह 8/0 कलमान सिंह उमर

निवासी / निवासगण ककशरी जिला उमर 208
उपरिथत। अभियुक्त / अभियुक्तगण के ओर से अधिवक्ता
श्री. द्वारा गंगारण्डग / वकालतनागा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) 4020840 के अधीन न्याय करने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक क्र. 600344/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण को 2016 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र पढ़ाया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण को अभियोग पत्र पढ़ाया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण को अभियोग पत्र पढ़ाया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण को अभियोग पत्र पढ़ाया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण को अभियोग पत्र पढ़ाया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण को अभियोग पत्र पढ़ाया गया।

चूँकि मामला संबंधित विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 348 अभियुक्तगण 2002 भा0द0स0/ अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक्य यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोचित को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रत्येक से दण्डित करार कर हरताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवमान तक की अवधि के दण्ड एवं 2002/2002 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 24000 रुपये राजसात विजये जायें। संपत्ति 24000 रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम अपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Ganesh Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 5000 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 86 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगतान गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचयन हो।

[Signature]